किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ- 226003
कुलसचिव कार्यालय
फोनः 91-0522-2258365 फैक्सः 91-0522-2257539 वेबसाईटः www.kgmcindia.edu.

पत्रांक संख्या. 9816 / गैर शै0 अधि0 एवं पें0अनु0/2021 दिनांक..09-12-2

गोपनीय

सेवा में,

प्राक्टर,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

विषयः– सेन्ट्रल लाइब्रेरी में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मचारी के शिकायती पत्र दिनांक 01.12.2021 में उल्लिखित बिन्दुओं का परीक्षण/जॉच सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आउटसोर्सिंग कर्मचारी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ के शिकायती पत्र दिनांक 01.12.2021 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण पर अध्यक्ष, विशाखा कमेटी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ से समन्वय स्थापित करते हुए उक्त शिकायती पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जॉच सुनिश्चित करते हुए अपनी जॉच आख्या अधोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र प्रेषित करने की कृपा करें, जिससे प्रकरण पर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

(आशुतोष कुमार द्विवेदी)
कुलसचिव

प्रतिलिपि–
1. प्रो0 अमिता जैन, अध्यक्ष, विशाखा कमेटी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।

To arrange meeting of Vishakha committee after confirmation with President Vishakha committee

Amita

दिनांक:- 01-12-2021

282278
07/12/21 नियुक्ति
Put up with file
07/12/2021

सेवा में,

1 कुल सचिव
के0जी0एम0यू0, शाहमीना रोड,
लखनऊ–226003

2 रजिस्ट्रार
के0जी0एम0यू0, शाहमीना रोड,
लखनऊ–226003

विषयः **सेन्ट्रल लाइब्रेरी में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत महिला सफाई कर्मचारी का यौन शोषण किये करने वाले दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने विषयक।**

महोदय,

अत्यन्त खेद के साथ अवगत कराना है कि आपके प्रतिष्ठित संस्था किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, (के0जी0एम0यू0), लखनऊ के अन्तर्गत **सेन्ट्रल लाइब्रेरी में , आनेरेरी लाइब्रेरियन के अधीन कार्यरत , लाइब्रेरियन तथा , असिस्टेन्ट लाइबेरियन (इंचार्ज सफाई कर्मचारी) द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत महिला सफाई कर्मचारी का विगत कई माह से लगातार यौन शोषण किया जा रहा है। जब भी महिला सफाई कर्मचारी द्वारा विरोध किया जाता है तो उसे आउटसोर्सिंग पर कार्यरत होने के कारण नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। सप्ताहिक अवकाश एवं राजकीय अवकाशों में लाइब्रेरी बन्द होने पर भी कार्य करने हेतु बुलाया जाता है, जिससे उसे द्वारा उसे अपनी हवस का शिकार बनाया जा सके। महिला सफाई कर्मचारी उक्त अवकाशों में नही आती हैं तो शासकीय गजटों, शासनादेशों तथा नियमों के विरूद्ध जाकर उक्त महिला कार्मचारी का वेतन काट दिया जाता है।**

आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेन्ट्रल लाइब्रेरी कार्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारियों (जिनकी डयूटी केवल कार्यालय कार्य हेतु रहती है) को भी सप्ताहिक अवकाश एवं राजकीय अवकाशों में बुलाया जाता है और उक्त कारणों के डर से न आने पर अवकाश के दिवसों में उनका वेतन भी काट दिया जाता है यदि वे आती है तो उनके साथ भी "सेक्सुअल हैरेस्मेंट" जैसी घिनौनी घटना घटित होने की सम्भवना रहती है और उपस्थित न होने पर नियमों के विरूद्ध उनके वेतन की भी कटौती की जाती है।

उक्त के अतिरिक्त सूचित करना है कि सेन्ट्रल लाइब्रेरी में महिला सफाई कर्मचारियों को कुर्सी पर बैठने से भी मना किया जाता है उन्हे लाइब्रेरी की जमीन पर बैठने पर विवश किया जाता है। इन सब घिनौनी एवं मानवता विरूद्ध घटनाओं के कारण ही महिला सफाई कर्मचारी , असिस्टेन्ट लाइबेरियन (प्रमुख यौन शोषणकर्ता) के विरूद्ध शिकायत नहीं कर पाती है। जब भी महिला सफाई कर्मचारी शिकायत करती है तब आनरेरी लाइबगेरियन द्वारा असिस्टेन्ट लाइबेरियन एवं लाइब्रेरियन (के प्रत्येक अपराधों में सहायक) का बचाव कर लिया जाता है। महिला सफाई कर्मचारी पर अपने पंरिवार को चलाने की पुरी जिम्मेदारी है, जिसके कारण सेन्ट्रल लाइब्रेरी में , लाइब्रेरियन तथा असिस्टेन्ट लाइबेरियन एवं अन्य परमानेन्ट स्टाफ द्वारा उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है तथा नौकरी से निकालने एवं पारिश्रमिक की कटौती करने की धमकी दी जाती है। उक्त प्रताड़ना के कारण महिला सफाई कर्मचारी अपनी शिकायत करने से भी डरती है।

(1)

Scanned with CamScanner

सेन्ट्रल लाइब्रेरी में कार्यरत महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार भी नहीं किया जाता है। यह स्थिति भी ध्यान देने योग्य है कि जब भी [redacted], असिस्टेन्ट लाइबेरियन, अवकाश पर होते है अथवा राजकीय अवकाश/सप्ताहिक अवकाश में आउटसोर्सिंग महिला कर्मचारियों को कार्य हेतु बुलाया जाता है तो अवकाश पर होने के बाद भी [redacted] यौन शोषण के उद्देश्य से लाइब्रेरी आते है, उनके द्वारा अवकाश के दिनों में आने की घटना के0जी0एम0यू0 के सेन्ट्रल लाइब्रेरी में लगे सी0सी0टी0वी0 की फुटेज में साफ देखी जा सकती है, इससे उनकी महिलाओं के प्रति मंशा स्पष्ट होती है। [redacted] शादी–शुदा व्यक्ति है। शादी–शुदा होने के बाद भी उनके द्वारा इस प्रकार के कृत्य घोर निन्दनीय है, परन्तु रक्षस (नीच मानसिकता) प्रवृत्ति का होने के कारण उन्हें अपने इस प्रकार के कृत्यों पर शर्म नहीं आती है तथा जब भी किसी भी प्रकार का विरोध अथवा शिकायत किया जाता है तो प्रो0 [redacted], आनरेरी लाइब्रेरियन द्वारा उक्त दोषियों का बचाव कर लिया जाता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इससे पहले भी के0जी0एम0यू0 के शताब्दी अस्पताल में इस प्रकार की यौन शोषण एवं बलातकार जैसी घटना घटित हो चुकी है। इसलिए पुनः इस प्रकार की घटना न घटित हो एवं के0जी0एम0यू0 की प्रतिष्ठा न धूमिल हो, समय रहते ही [redacted], असिस्टेन्ट लाइबेरियन (यौन शोषण करने वाला) एवं [redacted], लाइब्रेरियन के विरूद्ध उच्च स्तरीय जॉच करवाकर दोषियों को नौकरी से बर्खास्त करने तथा बाहत दण्ड (कारावास की सजा) दिलावने की कृपा करें, जिससे के0जी0एम0यू0 प्रशासन का नाम खराब होने से बच सके एवं दोषियों को कठोर दण्ड मिल सके, यदि मेरे द्वारा की गई शिकायत निस्पक्ष जॉच के बाद सत्य साबित नहीं होती है तो मै स्वंय आत्मदाह कर मृत्यु को प्राप्त हो जाउँगा।

भवदीय,

01.12.2021

आउटसोर्सिंग कर्मचारी
के0जी0एम0यू0, लखनऊ

प्रतिलिपिः

1 माननीय मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार को इस प्रार्थना के साथ कि आपके राम–राज्य में हो रहे इस प्रकार महिलाओं के शोषण के विरूद्ध अपने स्तर से सम्बन्धित दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही कर कठोर सजा दिलावने की कृपा करे।

2 अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग, मानव अधिकार भवन, तृतीय तल, टी0सी0–34, वी–1, इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान के सामने, विभूति खण्ड, लखनऊ पिन–226010 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि महिला सम्मान एवं शोषण के विरूद्ध उपरोक्त राक्षस रूपी दोषियों के विरूद्ध अपने स्तर से जॉच करवाकर सख्त से सख्त सजा दिलवाने की कृपा करे, क्योंकि प्रार्थी को संदेह है कि के0जी0एम0यू0 प्रशासन जॉच के नाम पर लिपा–पोती कर अपने उक्त दोषियों को बचाने की कोशिश करेगा।

3 मुख्य सचिव, महोदय, उ0प्र0 सरकार, लखनऊ इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने की कृपा करें।

4 महानिदेशक, चिकित्सा एवं शिक्षा, जवाहर भवन, लखनऊ को आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।

आउटसोर्सिंग कर्मचारी
के0जी0एम0यू0, लखनऊ

Scanned with CamScanner

King George's. Medical University
Uttar Pradesh, Lucknow - 226003
Internal Committee for Sexual Harassment of Women at Workplace
(Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

Ref. No.: ...../ICSHWW/2021 Date:

कार्यवृत्त बैठक दिनांक–14/12/2021 अपरान्ह 03:00 बजे

कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 लखनऊ के पत्र संख्या– 9816/गैर शै0 अधि0 एवं पें0अनु0/2021 दिनांक–09/12/2021 के अनुपालन में संयोजक/सदस्य के कार्यालय पत्र संख्या–93/आई0सी0एस0एच0डब्लू0डब्लू/21 दिनांक–13/12/2021 के द्वारा अध्यक्षा आई0सी0एस0एच0डब्लू0डब्लू एवं सदस्यों की बैठक दिनांक–14/12/2021 अपरान्हः 03:00 बजे चीफ प्राक्टर कक्ष (पी.एच.आई. भवन) में आहूत की गयी जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुएः–

1. प्रो0 अमिता जैन (अध्यक्ष)
2. प्रो0 क्षितिज श्रीवास्तव (सदस्य/संयोजक)
3. प्रो0 रेखा सचान (सदस्य)
4. प्रो0 सुजाता देव (सदस्य)
5. प्रो0 समीर मिश्रा (सदस्य)

निम्न सदस्य जो किन्ही कारणवश बैठक में प्रतिभाग नहीं कर पायीं।

1. डा0 मौसमी सिंह (सदस्य)
2. श्रीमती उषा अवस्थी (सदस्य)

समिति सदस्यो ने शिकायती पत्र का अवलोकन करते हुए सेन्ट्रल लाईबेरी में तैनात दो महिला सफाई कर्मचारियों का लिखित व मौखिक बयान लिया गया। बयान में दोनो महिला सफाई कर्मचारियों ने बिल्कुल साफ तौर पर बताया कि मुझे लाईब्रेरी में तैनात किसी पुरूष कर्मचारी से कोई शिकायत नही है। सेन्ट्रल लाईब्रेरी में कार्यरत एवं शिकायती पत्र में आरोपित के भी लिखित एवं मौखिक बयान लिये गये, जिसमें उन्होने साफ तौर पर किसी भी घटना से इनकार किया गया।

अन्त में समिति सदस्यो द्वारा लाईब्रेरी में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को बुला कर भी उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी समस्त कर्मचारियो ने मौखिक रूप से बताया कि हमें लाईब्रेरी मे कार्यरत किसी से कोई परेशानी नही है एवं इस प्रकार की कोई भी घटना घटित नही हुई है।

प्रथम दृष्टया शिकायती पत्र के अवलोकन से विदित है कि शिकायतकर्ता ने अपना नाम, पता एवं मोबाईल नम्बर अंकित नही किया है एवं इस शिकायती पत्र के साथ कोई भी शपथ पत्र भी संलग्न नही किया है। इससे प्रतीत होता है कि यह शिकायत असत्य है।

अतएव समिति सर्वसम्मति से सम्यंक विचारोपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि उपरोक्त शिकायती प्रकरण प्रथम दृष्टया निर्थक, बेबुनियाद, निराधार एवं असत्य है एवं इस शिकायत को पुर्णतया समाप्त (खारिज) करने की संस्तुति करती है।

प्रो0 अमिता जैन (अध्यक्ष)	प्रो0 क्षितिज श्रीवास्तव (सदस्य/संयोजक)	प्रो0 सुजाता (सदस्य)	प्रो0 रेखा सचान	प्रो0 समीर मिश्रा

Scanned with CamScanner